न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 161/2018/अपील

ललित पुत्र प्रहलाद राम जाति स्वामी निवासी ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार खण्डेला

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2018 मु.न. 99/2018 अनुवानी सरकार बनाम ललित द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री प्रहलादराय सैनी

निर्णय **दिनांकः—29.03.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कांवट द्वारा अपीलांट के खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक सर्वथा निराधार रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ योग्य अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार खण्डेला के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का कांवट की उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रकरण धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा संख्या 99/18 के रूप में दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 21.08.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 21.08.2018 को अपीलांट के अचानक बीमार हो जाने के कारण अपीलांट माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया तथा बाद में अपीलांट ने जाकर अपने मुकदमे की आगामी तारीख पेशी जाननी चाही तो बताया गया कि उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई के लिए कोई अवसर नहीं दिया तथा अपीलाधीन निर्णय राजनैतिक द्वेषतावश हठधर्मितापूर्वक पारित कर दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है परंतु पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह करने का काई मौका नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन पत्रावली में अपीलांट की बहस ही नहीं सुनी गई, बिना बहस सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का काई अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं किया गया है, बिना किसी आधार के व बिना किसी नाप जोख के निराधार रूप से पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसकी समुचित जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.08.2018 की क्रियान्विती की आड में अपीलांटस के खिलाफ पटवारी हल्का कांवट व गिरदावर हल्का द्वारा तथाकथित बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना किसी आधार के व कानूनी

आदेशिका में अंकित किया हुआ है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का कांवट के मुताबिक ग्राम वट की भूमि खसरा नम्बर 3374 रकबा 1.10 है0 किस्म गै.मु.नदी में से 0.05 है0 से अप्रार्थी को दिनांक 25.05.2018 को बेदखल किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा पुनः अवैध रूप से 0.05 है0 पर तारबन्दी व बाजरे की फसल कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व में भौतिक मौका बेदखली की कार्यवाही एवं बयान हेतु पटवारी हल्का को तलब किया जावे एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में आगामी तारीख 21.08.2018 अंकित कर दी गई। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहा। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2018 को पटवारी हल्का के बयान लिये गये तथा निर्णय दिनांक 21.08.2018 पारित कर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया हुआ है कि पटवारी हल्का कांवट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, फर्द निलामी व फर्द बेदखली तथा बयान पटवारी हल्का के आधार से यह साबित होता है कि अप्रार्थी ने ग्राम कांवट की भूमि खसरा नम्बर 3374 रकबा 1.10 है0 किस्म गै.मु.नदी में से 0.05 है0 पर तारबन्दी व फसल बाजरा काश्त कर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अतः अतिक्रमी को उपरोक्त आराजियात पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा सरह लगान 0.05 रूपये के 50 गुणा तावान कुल राशि 2.50/– रूपये से शास्ती आरोपित किया जाता है। साथ ही अप्रार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से दो माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के उपरांत फर्द मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 पत्रावली पर उपलब्ध है। फर्द मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 के अवलोकन करने पर ग्राम कांवट के खसरा नम्बर 3374, 3451, 3452, 3455, 3427, 3428, 3429 व 3294 में अवस्थित फसल बाजरा, ग्वार, मूंगफली व तारबन्दी पुख्ता चार दिवारी आदि को मौके से जे.सी.बी. व ट्रेक्टरों की सहायता से फसल को नष्ट करवाया गया व पक्के निर्माण को ध्वस्त करवाया जाकर रास्ते में मौजूद अवरोधों को हटाया जाकर दुरूस्त किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। चूंकि अपीलांट को उपरोक्त आराजियात पर से पूर्व में दिनांक 25.05.2018 को बेदखल किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। उपरोक्त आराजियात राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। फर्द मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 के मुताबिक अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके पर से हटाया जाकर दुरूस्त किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके पर से हटाये जाने की रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2018 में अप्रार्थी के विरूद्व की गई सिविल कारावास की सजा की हद तक इस हिदायत के साथ निरस्त किया जाता है कि अपीलांट भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर